

## छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00070

श्रीमती ललिता गुप्ता विरुद्ध श्रीमती नेहा सिंह पति श्री पंकज सिंह, मेसर्स अंश बिल्डर्स, अंबिकापुर  
प्रोजेक्ट-बरसाना रेसीडेन्सी, सूरजपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर																		
<p>14/12/18</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- प्रकरण प्रस्तुत।</li> <li>- प्रकरण में आवेदिका अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित।</li> <li>- अनावेदक अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित।</li> <li>- प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका द्वारा अनावेदक के ग्राम-ठाकुरपुर, तह.-सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "बरसाना रेसीडेन्सी" में प्लॉट/मकान क्रय करने हेतु रूपये 25,00,000/- में सौदा कर, दिनांक 07.02.2015 को इकरारनामा निष्पादित किया गया था। आवेदिका का कथन है कि उसके द्वारा अनावेदक को अब तक कुल रूपये 10,05,000/- का भुगतान किया जा चुका है। आवेदिका ने यह भी कथन किया है कि प्रश्नाधीन प्लॉट/मकान हेतु अनावेदक को दी गई सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने का अनुरोध किया है।</li> <li>- प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को आहूत कर उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक को भुगतान की गई संपूर्ण राशि रूपये 10,05,000/- लौटाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। जिसे आवेदिका ने भी प्राधिकरण के समक्ष स्वीकार किया।</li> <li>- अनावेदक द्वारा दिनांक 14.12.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उक्त संपूर्ण राशि आवेदिका को निम्नानुसार पोस्ट डेटेड चेक्स के माध्यम से लौटाया गया। साथ ही इन चेक्स की छायाप्रति भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की।</li> </ul>																			
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>चेक क्रमांक</th> <th>दिनांक</th> <th>राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>चेक क्रमांक-841544</td> <td>29.12.2018</td> <td>1,00,000 /-</td> </tr> <tr> <td>चेक क्रमांक-841546</td> <td>29.01.2019</td> <td>2,50,000 /-</td> </tr> <tr> <td>चेक क्रमांक-841548</td> <td>28.02.2019</td> <td>4,03,254 /-</td> </tr> <tr> <td>चेक क्रमांक-841550</td> <td>30.03.2019</td> <td>6,55,000 /-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>कुल</b></td> <td><b>14,08,254 /-</b></td> </tr> </tbody> </table>	चेक क्रमांक	दिनांक	राशि	चेक क्रमांक-841544	29.12.2018	1,00,000 /-	चेक क्रमांक-841546	29.01.2019	2,50,000 /-	चेक क्रमांक-841548	28.02.2019	4,03,254 /-	चेक क्रमांक-841550	30.03.2019	6,55,000 /-		<b>कुल</b>	<b>14,08,254 /-</b>	
चेक क्रमांक	दिनांक	राशि																		
चेक क्रमांक-841544	29.12.2018	1,00,000 /-																		
चेक क्रमांक-841546	29.01.2019	2,50,000 /-																		
चेक क्रमांक-841548	28.02.2019	4,03,254 /-																		
चेक क्रमांक-841550	30.03.2019	6,55,000 /-																		
	<b>कुल</b>	<b>14,08,254 /-</b>																		



*Guna*



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर  
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00070

श्रीमती ललिता गुप्ता विरुद्ध श्रीमती नेहा सिंह पति श्री पंकज सिंह, मेसर्स अंश बिल्डर्स, अंबिकापुर  
प्रोजेक्ट-बरसाना रेसीडेन्सी, सूरजपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>- आवेदिका ने भी उक्त सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त होने तथा प्रस्तुत शिकायत पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष सहमति व्यक्त की है।</p> <p>- प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में आवेदिका को उसके द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है। यदि किन्हीं कारणों से अनावेदक द्वारा प्रदत्त चेक अनादरित होता है, तो आवेदिका प्राधिकरण के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>(नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> <p>(राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> <p>(विवेक ढाँड) अध्यक्ष भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p>	

